आदेश से रीडर

6.7.17 पत्रावली कोर्ट को प्राप्त तालेड़ा पर पेश 1

वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खापरी पटवार हल्का तालेड़ा की आराजी नम्बर 363, 364, 131/1, 149/1, 882, 883, 884, 885, 1092/1, 1095/1, 1146, 1279/1, 1290/1, 1524/1282, 1094, 1288, 1291, 1292, 1508/1293 जो राजस्व रिकार्ड मे स्व. कल्याण s/o कान्हा जाट 1/2 व प्रति. स.3 व 4 का नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित भूमि स्व. कल्याण के पास अपने बाप दादाओ से प्राप्त हुई है। और यह भूमि मोरूसी है। और उक्त भूमि का आज तक बंटवारा नही हुआ है और उक्त भूमि स्व. कल्याण को प्राप्त होने बाद भी बंटवारा नही हुआ है। यह जायदाद मोरूसी है. और वादीया व प्रतिवादीया न. 2 को पैदाईश से उक्त कृषि भूमि मे अधिकार हो कर काबिज है और भूमि कोपार्सनर थी व है. और इस वजह से स्व. कल्याण का उक्त वर्णित आराजियात मे हिस्सा है. और कल्याण के उक्त भूमि मे राजस्व रिकार्ड मे

जो हिस्सा बताया वह उसका हिस्सा न होकर वादीया कोपार्सिनर होने से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं०2 का 1/3 हिस्सा एवं स्व. कल्याण का 1/3 हिस्सा उक्त भूमि में था व वर्णित आराजियात में खाता सं. 22 में वादीया का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं०2 का 1/6 हिस्सा व 1/6 हिस्सा स्व. कल्याण पिता का होता है, व बनता है व बताया 1/2 हिस्सा प्रति. सं. 12, 13, व 14 का होता है, खाता सं. 24 में कुल किता 17 बीघा 8 बिस्वा में वादीया का 1/6 हिस्सा प्र.सं. 2 का 1/6 व बताया 1/2 प्र.सं. 3, 4 का होता है खाता सं 25, 84, 85, 22 में हिस्सा वादीया का बनता है

वादीया की शादी होने से ग्राम रूपाहेली में निवास करती ग्राम छापरी में अपने माता पिता की देखभाल करने हेतु आती जाती रही है।

अतः वादीया के हक में प्रतिवादीगण के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी वादीया सहखातेदार काश्तकार है। जिसमें खाता सं 22 में 1/6, खाता सं 24 में 1/6, खाता सं. 25 में 1/15 खाता सं 84 में 1/9 व खाता सं 85 में 1/6 हिस्सा वादीया का घोषित किया जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

...का अवलोकन

आदेश

वादीया का वाद हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 में संशोधन दिनांक 5.9.05 व प्रकाश V/S फूलवती में हुए निर्णय तथा संशोधन अनुसार 20/12.2004 से पूर्व के समस्त अन्तरण विधिमान्य है तथा पुत्री को कोई हक अधिकार नहीं है. पुत्री अपने पिता के जीवनकाल में वर्ष 2005 के संशोधन से पूर्व कोई हक हिस्सा नहीं मांग सकती है अतः वादीया का वाद खारीज किया जाता है।

खर्चा कारोबार अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 6.7.17 को कोर्ट कैम्प पालडी पर खुले आम सुनाया गया पत्रावली दाखिल शुमार हो कर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी एवं
परीन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ भीलवाड़ा
कैम्प कोर्ट पालड़ी

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

उनवान

1- श्रीमती सजनापुत्री स्व. काल्याण जाट W/o लादूलाल जाट रूपा
2.
वादीय
बनाम
1- श्रीमती एजनपत्नी काल्याण जाट निवासी छापरी
2 श्री शंकरलाल पिता रूपा जाट —"—
3 श्रीमती रुकमा पुत्री काल्पाण जाट — " — w/o अम्बालाल
4 श्री भँवरलाल पिता रूपा जाट —"—
5 " बद्रीलाल पिता देबीलाल —"—
6 " रामलाल पिता —"—
7 " धीसु पिता —"—
8 " काली पुत्री —"—
9 " सजना पुत्री —"—
10 " शांता पुत्री —"—
11 " फूली पत्नी —"—
12 " श्यामला S/o मॉगू गाडरी नि. छापरी
13 " भीमा S/o —"—
14 " उगमा S/o —"—
(15) T.D.R. भीलवाड़ा, सब रजिस्ट्रार भीलवाड़ा
प्रतिवादीगण

दावा बाबत–

मुकदमा नम्बर :– 8889-189-53482 (?)

निर्णय दिनांक :– 348/" निर्णय दि. 6.7.17

वादी की ओर से ......—...... की व प्रतिवादी की ओर से......—...... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–

वादीया का वाद हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 मे संशोधन दिनांक 5.9.05 व प्रकाश V/S फूलवती मे हुए निर्णय तथा संशोधन अनुसार 20.12.2004 से पूर्व के समस्त अन्तरण विधिमान्य है तथा पुत्री को कोई हक अधिकार नही है। पुत्री अपने पिता के जीवनकाल मे वर्ष 2005 के संशोधन से पूर्व कोई हक, हिस्सा नही मांग सकती है। अतः वादीया का वाद खारीज किया जाता है।

खर्चा फारीकेन अपना-अपना वहन करे।

कि

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख ....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी

~~हमीरगढ~~ भीलवाड़ा